



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112020-223044
CG-DL-E-11112020-223044

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 577]
No. 577]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 11, 2020/कार्तिक 20, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 11, 2020/KARTIKA 20, 1942

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2020

सं. 36/2020-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 707(अ).—सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, थाईलैंड में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित “एक्रीलिक फाइबर”, जो कि उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अध्याय 55 के अंतर्गत आता है पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को वापस लेती है और एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 27/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 1 जून, 2015, जिसे सा.का.नि. 445 (अ) दिनांक 1 जून, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा न की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है।

[फा. सं. 354/126/2020-टीआरयू]

जे.एस. कंधारी, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th November, 2020

No. 36/2020-Customs (ADD)

G.S.R. 707(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government revokes the anti-dumping duty imposed on “Acrylic Fibre”, falling under chapter 55 of the First Schedule to the said Act, originating in or exported from Thailand, and imported into India and hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 27/2015-Customs (ADD) dated the 1st June, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 445 (E), dated the 1st June, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 354/126/2020–TRU]

JAINENDRA SINGH KANDHARI, Dy. Secy.